

भाग-V

प्रस्तावलेख-46680/2020

(इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार से किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

18- राज्य सरकार की सिफारिश

(उपर्युक्त भाग ख या भाग ग भाग घ में किसी

अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल

टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

CF Roycey की संस्तुति
के आधार पर स्वीकृतार्थ
संस्तुति की जाती है ।

दिनांक- 15/9/2020

स्थान-

पंकज मिश्र
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
वन (संरक्षण) अधिनियम-1980
हस्ताक्षर उ० प्र०, लखनऊ।

नाम-

सरकारी मोहर